इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
Regd. Office: Engineers India Bhawan,1, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066

PUBLIC NOTICE

Pursuant to the EPFO Order dated 08.07.2026, Engineers India Limited (EIL) shall be an **Unexempted Establishment** with effect from **01.08.2026.**

Ex-employees whose Provident Fund (PF) accounts are yet to be settled are requested to submit the duly filled and signed PF Withdrawal Form or PF Transfer Form, as applicable, along with a cancelled cheque (bearing the claimant's name), self-attested copies of PAN, Aadhaar, and the PF Authorization Form.

The list of such cases and prescribed forms may be downloaded from the **EIL Ex-employee Portal (https://retdemp.eil.co.in)**. The completed documents should reach to **Shri Jai Prakash Yadav, AGM (HR), ER Core Dept., Engineers India Limited, 1, Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066**, **on or before 25.07.2026.** For any clarification, email may be sent to **eilpfentrustment@eil.co.in.**

Please note that if the aforesaid Claim Form and requisite documents are not received on or before **25.07.2026**, PF accumulations of unsettled/ inoperative accounts shall be transferred to EPFO for further administration. Thereafter, such ex-employees shall be required to directly correspond with EPFO for settlement/ transfer and EIL shall not be responsible for any PF settlement claims, PF transfer requests, etc.

Place: New Delhi — **Sd/-**
Date: 17.07.2026 — **Head (ER-Core)**

Size_8X8_Eng

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ENGINEERS INDIA LIMITED
(A Govt. of India Undertaking)
पंजीकृत कार्यालयः इंजीनियर्स इंडिया भवन, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

सार्वजनिक सूचना

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के दिनांक 08.07.2026 के आदेश के अनुपालन में, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) दिनांक **01.08.2026** से एक **गैर–छूटप्राप्त** प्रतिष्ठान बन जाएगा।

जिन भूतपूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खाते का अंतिम निपटान अभी तक नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे, यथास्थिति, विधिवत भरा एवं हस्ताक्षरित पीएफ निकासी प्रपत्र अथवा पीएफ अंतरण प्रपत्र, दावेदार के नाम अंकित रद्द चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां तथा पीएफ प्राधिकरण प्रपत्र के साथ जमा करें।

ऐसे मामलों और निर्धारित फ़ॉर्म की सूची ईआईएल सेवानिवृत्त **पूर्व कर्मचारी पोर्टल (https://retdemp.eil.co.in)** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। विधिवत् भरे एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज़ **श्री जय प्रकाश यादव, अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन), ईआर कोर विभाग, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 के पास दिनांक 25.07.2026 तक अथवा उससे पूर्व अवश्य पहुँच जाने चाहिए।** किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, **eilpfentrustment@eil.co.in** पर ईमेल भेजा जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि यदि उपर्युक्त दावा प्रपत्र एवं आवश्यक ज़रूरी दस्तावेज़ **25.07.2026** तक या उससे पहले प्राप्त नहीं होते हैं, तो अनिर्णीत/निष्क्रिय भविष्य निधि खातों की संचित राशि को आगे के प्रशासन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके पश्चात ऐसे पूर्व कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि के निपटान/हस्तांतरण से संबंधित सभी मामलों के लिए सीधे ईपीएफओ से पत्राचार करना होगा। भविष्य निधि के निपटान संबंधी दावों,भविष्य निधि हस्तांतरण अनुरोधों अथवा अन्य संबंधित मामलों के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

स्थानः नई दिल्ली — हस्ता./–
दिनांकः 17.07.2026 — **प्रमुख (ईआर–कोर)**

Size_8X8_Hindi